

कार्यालय:- जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर (म.प्र.)

आदेश

क. 497 / दो-11-1/2018

जबलपुर, दिनांक- 23 जून, 2020

प्रशासनिक कार्य व्यवस्था एवं सुविधा की दृष्टि से निम्नांकित तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का स्थानांतरण/पदस्थापना उनके नाम के समक्ष अंकित कॉलम नंबर 3 से कॉलम नंबर 4 में अंकित स्थान पर आगामी आदेश पर्यन्त तक किया जाता है:-

क्र.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	किसके स्थान पर
1.	श्री संदीप श्रीवास्तव	सिविल प्रस्तुतकार, चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश,	सिविल प्रस्तुतकार, 14वें व्य. न्या. वर्ग-2	रिक्त
2.	श्रीमती सीमा दिलराज	दांडिक निष्पादन लिपिक, चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश,	दांडिक निष्पादन लिपिक 14वें व्य. न्या. वर्ग-2	रिक्त
3.	श्रीमती अंबिका ठाकुर	स्टेनोग्राफर चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश,	स्टेनोग्राफर, 14वें व्य. न्या. वर्ग-2	रिक्त
4.	ज्योति इरपाची	साक्ष्य लेखक, चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश,	साक्ष्य लेखक, 14वें व्य. न्या. वर्ग-2	रिक्त
5.	श्रीमती कंचन सिंह	सिविल प्रस्तुतकार, 14वें अपर जिला न्यायाधीश	सिविल प्रस्तुतकार, सप्तम व्य.न्या.वर्ग-1	रिक्त
6.	श्री अभिषेक जैन	दांडिक निष्पादन लिपिक 14वें अपर जिला न्यायाधीश	दांडिक निष्पादन लिपिक, सप्तम व्य.न्या.वर्ग-1	रिक्त
7.	श्री विनोद पारे	स्टेनोग्राफर, 14वें अपर जिला न्यायाधीश	स्टेनोग्राफर, सप्तम व्य. न्या.वर्ग-1	रिक्त
8.	श्री विवेक ठक्कर	साक्ष्य लेखक 14वें अपर जिला न्यायाधीश	साक्ष्य लेखक, सप्तम व्य. न्या.वर्ग-1	रिक्त
9.	श्री अजय कुमार सिंह	अति. लिपिक, 14वें अपर जिला न्यायाधीश	अति. लिपिक सप्तम व्य. न्या.वर्ग-1	रिक्त

नोट:- 1. श्रीमती सीमा दिलराज एवं श्री अभिषेक जैन तत्काल अपनी नवीन पदस्थापना पर पदभार ग्रहण करेंगे तथा नवीन पदस्थापना पर प्राप्त होने वाले सिविल एवं दांडिक प्रकरण को प्राप्त करेंगे तथा सिविल प्रस्तुतकार के आने तक उसका आधिपत्य रखेंगे।

2. श्री संदीप श्रीवास्तव एवं श्रीमती कंचन सिंह अपने न्यायालय में सिविल एवं दांडिक प्रकरणों के स्थानांतरण तक बने रहेंगे और सिविल और दांडिक प्रकरणों का प्रभार

उनके आधिपत्य में रहेगा।

3. पीठासीन अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारियों को निर्देशित किया जावे कि स्थानांतरित कर्मचारियों को वे तत्काल भारमुक्त करें ताकि वे नवीन पदस्थापना पर अपना कार्यभार ग्रहण कर सकें।

4. स्थानांतरित कर्मचारियों को अन्य आकस्मिक परिस्थितियों को छोड़ कर किसी भी प्रकार का लंबी अवधि का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा।

सही / -

(संजय शुक्ला)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)

पृष्ठ क्र. 251 दो-11-1/19

जबलपुर, दिनांक- 23/06/2020

प्रतिलिपि आदेशानुसार:-

- 1- श्री..... अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जबलपुर/सिहोरा।
- 2- प्रभारी अधिकारी
नाजरात/प्रतिलिपि/मालखाना/अभिलेखागार/तलवाना/स्केनिंग/पंजीयन/
लेखानुभाग जबलपुर/सिहोरा/पाटन की ओर से सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।
- 3- श्री..... व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 जबलपुर/
सिहोरा / पाटन।
- 4- श्री..... व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2
जबलपुर/सिहोरा/पाटन।
- 5-
- 6- लेखापाल/वेतन लिपिक/अवकाश लिपिक, जबलपुर।
- 7- सिस्टम ऑफिसर जबलपुर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

23/6/20
प्रशासनिक अधिकारी
कार्या- जिला एवं सत्र
न्यायाधीश
जबलपुर(म0प्र0)